

अध्याय 10

स्थानीय स्वशासन

स्थानीय स्तर के विकास में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं स्थापित की गईं। स्थानीय स्वशासन देश की शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सशक्त माध्यम है। सन् 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है।

अर्थ: स्थानीय स्वशासन से आशय स्थानीय स्तर के उस शासन से है, जिसमें शासन का संचालन उन संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं तथा जिन्हें केन्द्रीय या राज्य शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अधिकार एवं दायित्व प्राप्त होते हैं। स्थानीय स्वशासन का आधार यही है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें भली-भाँति हल कर सकते हैं।

ब्रिटैनिका शब्दकोश के अनुसार स्थानीय स्वशासन का अर्थ है, “पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अन्दरूनी प्रतिबन्धित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उसको लागू करने वाली सत्ता”। स्थानीय स्वशासन को विभिन्न देशों में अलग-अलग नामों से सम्बोधित किया जाता है – भारत में स्थानीय स्वशासन, फ्रान्स में स्थानीय प्रशासन (प्रीफेक्ट व्यवस्था) एवं अमेरिका में म्युनिसिपल शासन आदि। स्थानीय स्वशासन के कुछ दोष हैं। इसमें संकुचित स्थानीयता के कारण संकीर्ण एवं स्वार्थमय प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासकीय उत्तरदायित्व का विभाजन, पदाधिकारियों की बड़ी संख्या एवं इसके परिणामस्वरूप व्यय वृद्धि इत्यादि कारणों से शासन व्यवस्था में अक्षमता एवं अपव्ययता आ जाती है।

स्थानीय स्वशासन की सफलता के लिए जनता में उच्च नैतिक चरित्र, ईमानदारी तथा सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। जनता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग जातीय एवं धार्मिक भावना के आधार पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर करना चाहिए। केन्द्रीय या प्रान्तीय शासन के नियंत्रण एवं स्थानीय स्वशासन

संस्थाओं की स्वतंत्रता के बीच सामन्जस्य में ही स्थानीय स्वशासन की सफलता का रहस्य छुपा हुआ है।

प्राचीन भारत में गणतंत्रीय एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था

स्थानीय स्वशासन की भारत में परम्परा रही है। पंचायत शब्द, स्थानीय क्षेत्र के लोगों द्वारा चयनित पाँच व्यक्तियों के एक समूह की प्रणाली को बताता है जिसके द्वारा असंख्य ग्रामीण जनता को शासित किया जाता था। पंचायत स्वशासन की मनोवृत्ति को इंगित करता है। इतिहास के विभिन्न काल खण्डों में शासकों के उत्थान-पतन तथा सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन के उपरान्त भी इन संस्थाओं का प्रभाव अब तक किसी न किसी रूप में बना हुआ है। प्राचीन भारत में राजशाही शासन प्रणाली के साथ-साथ गणतंत्रीय व्यवस्था भी प्रवर्तित थी, जिसके अन्तर्गत राजा का चयन स्थानीय समुदाय के द्वारा किया जाता था। भारतीय इतिहास का प्रारम्भिक साहित्य (बौद्ध व जैन ग्रन्थ) इस तथ्य को रेखांकित करता है कि उस समय छोटे-छोटे गणराज्य जैसे काशी, कौशल, अंग, कम्बोज, कुरु, लिच्छवी, मल्ल, वैशाली, मत्स्य, विराट, शिवि एवं जांगल प्रदेश इत्यादि होते थे।

वैदिक युग में स्थानीय स्वशासन प्रचलित था। ऋग्वेद में ‘सभा’ एवं ‘समिति’ नामक दो संस्थाओं का उल्लेख है जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। महाभारत में शान्ति पर्व में अच्छे प्रशासन के लिए राज्य को अनेक इकाइयों यथा— एक, दस, बीस, सौ एवं हजार ग्रामों की अलग-अलग इकाइयों में विभाजित किया गया था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रबंध ‘ग्रामिक’ नामक अधिकारी करता था। दस, बीस, सौ एवं हजार ग्रामों का अधिकारी क्रमशः दशप, विशपति, शतपाल एवं सहस्रपति कहलाता था। सिन्धु घाटी सभ्यता में सड़कों एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था से यह पता चलता है कि तत्कालीन नगरों में स्थानीय शासन नगरों की समुचित व्यवस्था करता था।

कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' में स्थानीय स्वशासन के लिए राज्य के विकेन्द्रीकरण का समर्थन करते हुए जो संरचना प्रस्तुत की, उसमें जनपद प्रशासन को ग्राम, संग्रहण (10 गाँव) कार्वटिक (200 गाँव) द्रोणमुख (400 गाँव) व स्थानीय (800 गाँव) में विभक्त किया गया था। कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को 'पुर' बताते हुए 'स्थानिक' अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 'गोप' (सरपंच) के समन्वय में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप निर्धारित किया था। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन का सबसे अच्छा उदाहरण चोल शासन में देखने को मिलता है। चोल शासन के दौरान गाँवों में 'नाडु परिषदें' कार्यरत थीं।

इस तरह प्राचीन भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की मौलिक भावना स्थानीय स्वशासन एवं गणतन्त्रीय व्यवस्था प्रशासन का प्रमुख अंग रही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल तथा वैदिककाल से लेकर महाभारत, अर्थशास्त्रकालीन समयावधि, तक एवं उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के राज्यों में स्थानीय स्वशासन व गणतन्त्रीय व्यवस्था का कमोबेश अपने-अपने स्वरूप में प्रचलन रहा था।

भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना दो प्रकार की है— पहली नगरीय स्थानीय स्वशासन व दूसरी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है।

राजस्थान में स्थानीय स्वशासन का विकास

आधुनिक राजस्थान के गठन के पूर्व भी राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों यथा—बीकानेर (1929), जयपुर (1938), सिरोही (1943) भरतपुर (1944) व करौली (1949) में पंचायती राज कानून बनाये गये थे।

राजस्थान पंचायती राज की स्थापना में अग्रणी राज्य रहा है। संयुक्त राजस्थान द्वारा 1948 में पंचायती राज अध्यादेश लागू किया गया। 1949 में राजस्थान निर्माण के बाद मुख्य पंचायत अधिकारी के अधीन एक पृथक पंचायत विभाग स्थापित किया गया। राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 जो 1 जनवरी, 1954 से लागू हुआ, के द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा गठित बलवंतराय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रि-स्तरीय योजना को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 लागू किया गया।

2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल

नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से आधुनिक त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस तरह देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य बन गया। राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 बनाया गया।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार सम्बन्धी सुझाव देने के लिए समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इनमें हरिश्चन्द्र माथुर समिति (1963), सादिक अली समिति (1963), गिरधारीलाल व्यास समिति (1975), हरलालसिंह खर्वा समिति (1990), अरुण कुमार समिति (1996), शिवचरण माथुर आयोग (2000) एवं गुलाबचन्द कटारिया मंत्रीमण्डलीय उप समिति (2004-05) इत्यादि प्रमुख समितियाँ रही हैं। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अनुसरण में राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 लागू करके एवं 1994 ई. में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 ई. में संशोधन करके स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को नवीन रूप दिया गया। इनमें महिलाओं एवं समाज के वंचित वर्गों का अधिक प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता सुनिश्चित हुई है।

नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 लागू है।

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ विभिन्न स्तरों पर अपना कार्य करती हैं, उनका वर्णन इस प्रकार है:—

ग्राम सभा

ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा को साकार करने वाली संस्था है। ग्राम पंचायत के समस्त वयस्क नागरिकों के समूह को ग्राम सभा कहा गया है। अठारह वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक जिसका नाम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, वह ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दी गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अध्याय 2क में ग्राम सभा के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच अथवा उसकी

अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा तथा दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित ग्राम सभा के सदस्य द्वारा की जायेगी। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति कुल संख्या के दशांश अर्थात् दसवें हिस्से से होगी।

ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी। पहली बैठक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में होगी जिसमें निम्न मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा:-

क. पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण

ख. वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

ग. पिछली संपरीक्षा रिपोर्ट और उसके लिए दिये गये उत्तर

दूसरी बैठक वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में होगी जिसमें निम्न मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श होगा:-

क. वर्ष के दौरान व्यय का विवरण

ख. वर्ष के लिए किये जाने वाले भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम

ग. प्रथम तिमाही बैठक में तय प्रस्तावित कार्यक्रमों में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव

ग्राम पंचायत का बजट एवं कर प्रस्ताव

ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 से अधिक सदस्यों या पंचायत समिति या जिला परिषद या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक अपेक्षा किए जाने के 15 दिवस के भीतर बुलाई जायेगी। सम्बन्धित पंचायत समिति का विकास अधिकारी या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति ग्राम सभा की सभी बैठकों में उपस्थित होगा। पंचायत सचिव बैठकों का कार्यवृत्त लिखेगा जिसे बैठक की समाप्ति पर पढ़कर सुनाया जायेगा व उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित किया जायेगा। इस अधिनियम के अनुसार सौंपे गये विषयों से सम्बन्धित कोई संकल्प बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होने चाहिए। ग्राम पंचायत अपने क्रियाकलापों के लिए ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती हैं।

ग्राम पंचायत

राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से गाँव और गाँवों के समूह से बने प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम पंचायत होती हैं। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यकारी समिति भी कहा जा सकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय की तरह काम करेगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार राज्य में तीन हजार तक की जनसंख्या वाली पंचायत में एक सरपंच और नौ वार्ड पंच होते हैं। तीन हजार से अधिक जनसंख्या पर अतिरिक्त प्रत्येक हजार अथवा उसके अंश पर दो अतिरिक्त वार्ड पंच होते हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 4600 है तो इसमें तेरह वार्ड पंच व एक सरपंच होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सरपंच तथा ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड पंच को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। पंच व सरपंच का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा उस पंचायत क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। ग्राम पंचायत का कार्यकाल, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की भांति 5 वर्ष रखा गया है। राजस्थान में इस समय कुल 9900 ग्राम पंचायतें हैं।

ग्राम पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नियमानुसार स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण वर्गवार 50 प्रतिशत होगा।

स्थायी समिति पंचायत के काम में मदद करने वाली एक संरचना हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों में प्रशासनिक एवं स्थापना, वित्त एवं कराधान, विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम, शिक्षा एवं सामाजिक सेवा व सामाजिक न्याय इत्यादि विषयों से सम्बन्धित समितियां होती हैं। इन स्थायी समितियों का गठन इस प्रकार किया जाता है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि को कम से कम एक समिति में स्थान जरूर मिल जाये।

कोई पंचायत अपने कार्य निष्पादन के लिए जितनी बार आवश्यक हो, उतनी बार बैठक कर सकती है किन्तु पन्द्रह दिन में कम से कम एक बार पंचायत के निर्धारित स्थान पर बैठक बुलाया जाना आवश्यक है। बैठकों में गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या निर्धारित की गई है। पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच और उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच तथा दोनों की अनुपस्थिति में सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्षता के लिए निर्वाचित करेंगे। पंचायत की बैठक में सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किये जाते हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सरपंच या उप सरपंच को मतों के बराबर होने की स्थिति में निर्णायक

मत देने का अधिकार है। ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच को पद ग्रहण के दो वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने का प्रावधान है। यह अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पारित होना चाहिए।

ग्राम पंचायत के कार्य: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की प्रथम अनुसूची में ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

- 1. साधारण कार्य :** ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना एवं वार्षिक बजट तैयार करेगी, साथ ही प्राकृतिक आपदा में सहायता, लोक सम्पत्ति के अतिक्रमण को हटाना एवं गांव की आवश्यक सांख्यिकी तैयार करने सम्बन्धी कार्य करेगी।
- 2. प्रशासनिक कार्य :** ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में परिसरों का संख्यांकन, जनगणना, कृषि उपज उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विवरण, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार प्रदत्त सहायता के सही उपयोग के लिए सक्षम प्रणाली, सर्वेक्षण, खलिहानों व चारागाहों व सामुदायिक भूमि पर नियंत्रण, बेरोजगारी के आंकड़े, जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन और पंचायत अभिलेख इत्यादि विषयों का प्रशासनिक कार्य किया जाता है।
- 3. अन्य कार्य :** ग्राम पंचायत द्वारा कृषि विस्तार सहित कृषि और बागवानी विकास, पशुपालन व डेयरी, कुक्कुट पालन व मत्स्यपालन, सामाजिक एवं फार्म वानिकी व लघु वन उपज, ईंधन व चारा, लघु सिंचाई, खादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक व प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा तथा पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप व बाजार मेलें, ग्रामीण स्वच्छता व लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, कमजोर वर्गों का कल्याण, लोक वितरण व्यवस्था, सामुदायिक सम्पत्तियों, धर्मशालाओं, पोखरों, पार्किंग, बूचड़खानों, लोक उद्यान, खेल मैदान का निर्माण एवं रख-रखाव, शराब की दुकानों का विनियमन इत्यादि विषयों से सम्बन्धित कार्य भी किये जाते हैं।

पंचायत समिति

पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना का मध्यवर्ती सोपान पंचायत समिति कहलाता है। राजस्थान में पंचायत समिति सहित सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है। राजस्थान में वर्तमान में 295 पंचायत समितियां कार्यशील हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार राज्य सरकार जिले के भीतर किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खण्ड के रूप में घोषित कर सकेगी जिसके लिए एक पंचायत समिति होगी। प्रत्येक पंचायत समिति एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं एक सामान्य मुहर होगी।

प्रत्येक पंचायत समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य।
2. पंचायत समिति क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले सभी विधानसभा सदस्य।
3. पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच।

अधिनियम के अनुसार एक लाख तक की जनसंख्या वाली पंचायत समिति क्षेत्र में पन्द्रह निर्वाचन क्षेत्र तथा इससे अधिक प्रत्येक पन्द्रह हजार की जनसंख्या के लिए दो निर्वाचन क्षेत्र की वृद्धि होगी। पंचायत समिति के चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए स्थान नियमानुसार सुरक्षित किये गये हैं तथा ये सभी आरक्षित किये गये स्थान चक्रानुक्रम से बारी-बारी से आवंटित किये जायेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है। पंचायत समितियों के कार्य संचालन में सामान्यतया प्रधान, उप प्रधान, विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी होते हैं। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता करते हैं। बाद में पंचायत समिति के प्रादेशिक क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि अपने में से प्रधान व उपप्रधान का चुनाव करते हैं। 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रधान व उप प्रधान को हटाने का अधिकार भी इन्हें प्राप्त है।

अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पंचायत समिति अपने कार्य के संव्यवहार के लिए एक मास में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी। बैठक के लिए गणपूर्ति हेतु

सदस्यों की कुल संख्या का एक—तिहाई की उपस्थिति निश्चित की गई है। बैठक में सभी प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तिका में लिखी जायेगी।

पंचायत समिति के कार्य: अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में राज्य की पंचायत समितियों द्वारा किए जाने वाले निम्न मुख्य कार्यों का संकेत किया गया है:—

1. साधारण कृत्य के अनुसार पंचायत समिति के लिए वार्षिक योजना एवं वार्षिक बजट तैयार करना तथा अधीनस्थ पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार कर उन्हें समेकित करना।
2. कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि कार्य;
3. भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण;
4. लघु सिंचाई एवं पेयजल;
5. गरीबी उन्मूलन;
6. पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन;
7. ग्रामीण आवास;
8. प्राथमिक विद्यालयों सहित शिक्षा;
9. सड़कें, बाजार एवं मेले;
10. स्वास्थ्य, महिला एवं कमजोर वर्गों का कल्याण;
11. सांख्यिकी, आपदा सहायता, सहकारिता एवं पुस्तकालय सम्बन्धित कार्य।

जिला परिषद

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात् पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई जिला परिषद है। प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद की व्यवस्था की गयी है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिला परिषद ग्रामीण विकास की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निष्पादन में पर्यवेक्षकीय भूमिका निभाती है। जिला परिषद पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों तथा दूसरी ओर राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। जिला परिषद प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी तथा गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के एक—तिहाई सदस्यों से होगी। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की देखरेख में अभिलिखित की जायेगी।

जिला परिषद का गठन निम्न चार प्रकार के सदस्यों से मिलकर होता है:—

- (क) निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य।

- (ख) जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा विधानसभा सदस्य।
- (ग) जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्य सभा सदस्य।
- (घ) जिला परिषद क्षेत्र की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान।

उपर्युक्त (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों को जिला प्रमुख या उपजिला प्रमुख के निर्वाचन एवं उनके हटाने जाने के सिवाय, मत देने का अधिकार होगा।

चार लाख तक की जनसंख्या के लिए किसी जिला परिषद क्षेत्र में सत्रह निर्वाचन क्षेत्र एवं उससे प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख या उसके भाग की जनसंख्या के लिए दो क्षेत्रों की बढ़ोतरी की जायेगी। इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए नियमानुसार एवं चक्रानुक्रमानुसार आरक्षण होगा।

जिला परिषद के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन संबंधित क्षेत्र के मतदाता करते हैं। बाद में प्रादेशिक क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने में से जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख को हटाने का अधिकार भी इन्हें प्राप्त है। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहायक अभियन्ता, लेखा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी भी जिला परिषद के प्रशासन तंत्र के रूप में कार्यों को निष्पादित करते हैं। जिला परिषद चुनावों के आयोजन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। प्रत्येक जिला परिषद, अधिनियम में विनिर्दिष्ट विषय समूह में से प्रत्येक के लिए 5 स्थायी समितियों का गठन करेगी। आवश्यकता होने पर अन्य विषयों के लिए भी समिति का गठन कर सकेगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिला परिषद के लिए 5 सदस्यीय सतर्कता समिति का गठन कर सकती है जो सम्बन्धित जिला परिषद के कामकाज, योजनाओं और अन्य क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगी।

जिला परिषद के कार्य: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की तृतीय अनुसूची के अनुसार जिला परिषद के कार्य इस प्रकार हैं:—

1. साधारण कार्य के रूप में जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना व आगामी बिन्दुओं में सम्मिलित विषयों के संबंध में योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन करना।

2. कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं विकसित कृषि पद्धतियों एवं समुन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा कृषि मेलों का आयोजन एवं कृषकों का प्रशिक्षण।
3. 2500 एकड़ तक के लघु सिंचाई, भूजल स्रोत संरक्षण एवं जल-विभाजक विकास के कार्यक्रम व बागवानी के लिए फलों एवं सब्जियों की खेती।
4. जिला परिषद व पंचायत समितियों के क्रियाकलापों से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन एवं अन्य सूचनाओं के साथ समन्वय व उपयोग;
5. ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देना व इसके लिए नये कनेक्शन एवं आपूर्ति का पर्यवेक्षण करना;
6. मृदा संरक्षण एवं सामाजिक वानिकी के कार्यक्रमों के लिए बंजर भूमि विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि कार्य;
7. पशु चिकित्सालय की व्यवस्था, महामारी एवं अन्य रोगों की रोकथाम का प्रयास, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन व मत्स्य पालन को बढ़ावा देना;
8. घरेलू और कुटीर उद्योग के लिए पारम्परिक कुशल व्यक्तियों की पहचान एवं घरेलू उद्योग का विकास। कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं इसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति करना;
9. ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण पुल इत्यादि का निर्माण एवं रख-रखाव तथा कार्यालय भवन का निर्माण व रख-रखाव के साथ-साथ सम्पर्क सड़कों की पहचान का कार्य;
10. सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और रख-रखाव, प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण के कार्यक्रम, परिवार कल्याण व मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य क्रियाकलाप;
11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ, पुस्तकें इत्यादि के क्रय के लिए अनुदान व शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना;
12. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित करना तथा समाज सुधार सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों का संचालन तथा
13. उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, प्रौढ़ शिक्षा एवं पुस्तकालय सुविधाओं का कार्य इत्यादि।

नगरीय स्थानीय स्वशासन

संसद द्वारा 1992 में पारित एवं एक जून 1993 से लागू

74 वें संविधान संशोधन द्वारा देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। राजस्थान राज्य ने भी 74 वें संविधान संशोधन की मूल भावना एवं विशेषताओं को पहले से प्रचलित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की विभिन्न धाराओं में आवश्यक संशोधन करके 1994 में परिमार्जित एवं संशोधित रूप में लागू कर दिया गया। वर्तमान में नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 से शासित हैं। वर्तमान में राजस्थान में 7 नगर निगम, 34 नगर परिषद व 146 नगरपालिकाएं हैं। समय-समय पर संशोधित इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में कार्यरत नगरीय स्वशासन संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

नगर निगम

नगर निगम सर्वोच्च शहरी निकाय हैं। राजस्थान में 74 वें संविधान संशोधन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रत्येक बृहत्तर नगरीय क्षेत्रों में (जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो) में नगर निगम की स्थापना की जाती है। वर्तमान में राजस्थान के सभी 7 सम्भाग मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर एवं भरतपुर में नगर निगम गठित किया गया है। संगठनात्मक दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा नगर निगम है नगर निगम एक निगमित निकाय है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है। उसकी एक सामान्य मुहर होती है, वह निगमित नाम से वाद चला सकता है। नगर निगम का कार्यकाल भी पाँच वर्ष का होता है।

नगर निगम के आन्तरिक संगठन के अन्तर्गत परिषद, महापौर, उप महापौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निगम आयुक्त तथा समितियाँ होती हैं। राज्य सरकार नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों में विभक्त करती है। इन प्रादेशिक क्षेत्र को वार्ड कहा जाता है। वार्डों के कुल स्थानों में से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात में व महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षित किये जाते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। राजस्थान में 74वें संविधान संशोधन के बाद नगर निगम के अब तक पाँच बार चुनाव सम्पन्न हुए हैं।

महापौर एवं उपमहापौर: नगर निगम के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को क्रमशः महापौर व उपमहापौर कहा जाता है।

नगर निगम के सदस्य अपनों में से ही एक को महापौर व एक को उप महापौर निर्वाचित करते हैं। महापौर एवं उप महापौर के पदों में भी आरक्षण की व्यवस्था रहती है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मृत्यु, पद-त्याग अथवा सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण, पद समय से पूर्व भी रिक्त हो सकता है। पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए निगम के सदस्य अपने में से पुनः महापौर अथवा उप महापौर निर्वाचित कर लेते हैं। महापौर नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। महापौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी से नगर निगम से संबंधित कोई प्रतिवेदन अथवा जानकारी प्राप्त कर सकता है। महापौर की अनुपस्थिति में उप महापौर द्वारा सभी कार्य सम्पन्न किये जाते हैं।

राज्य सरकार की ओर से नगर निगम में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सहयोग के लिए आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी निगम की परिषद एवं उसकी स्थायी समितियों की बैठकों में हिस्सा ले सकता है। निगम के अभिलेख, दस्तावेज एवं बजट उसकी देखरेख में तैयार होते हैं। यह परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों, निर्मित कानूनों और स्वीकृत नियमों तथा उप नियमों को व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। निगम के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। नगर निगम के कार्य को सुगम तरीके से चलाने के लिए अधिनियम में विभिन्न समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है।

1. कार्यपालक समिति जिसका गठन निम्न प्रकार होगा:—

- (क) महापौर
- (ख) उप महापौर
- (ग) परिषद में विपक्ष का नेता
- (घ) परिषद द्वारा निर्वाचित सात सदस्य जिसमें दो महिलाएँ हों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी पदेन सचिव होगा।

इसके अलावा वित्त समिति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, भवन एवं निर्माण कार्य समिति, नियम एवं उपविधि समिति, गन्दी बस्ती सुधार समिति एवं अपराधों का शमन एवं समझौता समिति आदि का गठन किया जाता है। इन समितियों के अतिरिक्त भी आवश्यकता होने पर अन्य समितियाँ गठित की जा सकती हैं।

नगर निगम के कार्य: नगर निगम सामान्यतः तीन प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करता है। अनिवार्य, ऐच्छिक व विशेष कार्य। अनिवार्य कार्य में निगम द्वारा आवश्यक रूप से किये जाने

वाले कार्य सम्मिलित हैं जैसे शुद्ध जल का प्रबन्ध, सार्वजनिक विद्युत का प्रबन्ध, नालियों एवं शौचालयों का निर्माण एवं रख-रखाव, सार्वजनिक मार्गों का निर्माण व रख-रखाव व नामकरण, गन्दगी एवं कूड़े-करकट की सफाई, जन्म एवं मृत्यु का लेखा-जोखा, श्मशानों का प्रबन्ध एवं नियमन, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, खतरनाक भवनों को निरापद बनाना, खतरनाक व्यापार पर नियंत्रण, निगम सम्पत्ति की देखरेख, खाद्य पदार्थों और भोजनालयों का नियमन एवं नियंत्रण तथा वार्षिक प्रतिवेदनों का प्रकाशन आदि।

ऐच्छिक कार्य में वे कार्य सम्मिलित हैं जो निगम अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करवाता है जैसे—सार्वजनिक पार्क, पुस्तकालयों, रंगमंचों, अखाड़ों इत्यादि का निर्माण एवं रख-रखाव, मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन, छायादार वृक्षों का रोपण एवं देखभाल, गरीबों एवं अपाहिजों की सहायता और सार्वजनिक स्थानों पर संगीत का प्रबन्ध आदि। विशेष कार्य जो आपात स्थितियों से उत्पन्न होते हैं उन्हें पूरा कराना भी नगर निगम का दायित्व है, यथा—अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्य तथा महामारी के समय बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय करना।

नगर निगम अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक निर्वाह के लिए विभिन्न कर लगाकर आय जुटाता है। सम्पत्ति कर, पशु कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, भूमि या भवन के वार्षिक किराया मूल्य पर कर इत्यादि विभिन्न कर नगर निगम अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत अधिरोपित करता है। करों के अलावा नगर निगम को अतिरिक्त फीस आदि से भी आय प्राप्त होती है जैसे सम्पत्ति हस्तान्तरण पर ली जाने वाली फीस इत्यादि। निगम को इन दोनों स्रोतों के अलावा राज्य सरकार से निश्चित अनुदान भी प्राप्त होता है।

नगर परिषद

नगरीय स्वशासन की दूसरी महत्वपूर्ण इकाई नगर परिषद है। राजस्थान में एक लाख से पांच लाख जनसंख्या वाले लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों में नगर परिषद का गठन राज्य सरकार कर सकती है। नगर परिषद विधिक दृष्टि से एक वैधानिक निकाय होती है। जिसकी सार्वजनिक मुहर एवं शाश्वत उत्तराधिकार होता है। नगर परिषद अपने नाम से संपत्ति का क्रय-विक्रय कर सकती है। इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है तथा वह भी दूसरों पर मुकदमा चला सकती हैं। वर्तमान में

राजस्थान में 34 नगर परिषद यथा — किशनगढ़, ब्यावर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, चूरु, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, करौली, सिरोही, टोंक, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, प्रतापगढ़, दौसा, मकराना, गंगापुर सिटी, हिण्डोन सिटी, भिवाड़ी, बालोतरा एवं सुजानगढ़ में स्थित हैं।

नगर परिषद में एक निर्वाचित परिषद होती है। नगर परिषद क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर विभक्त कर दिया जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। वार्ड से निर्वाचित सदस्य पार्षद कहे जाते हैं। वार्डों की संख्या का निर्धारण समय-समय पर अधिसूचना जारी करके किया जाता है। पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। सम्बन्धित क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा के सदस्य भी परिषद के सदस्य होते हैं। सभी स्थानों के लिए आरक्षण सम्बन्धित प्रावधान नगर निगम की भांति ही लागू होते हैं। नगर परिषद अपने कार्य संचालन के लिए कतिपय स्थायी एवं अस्थायी समितियों का गठन करती है।

सभापति और उपसभापति: नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति एवं उपाध्यक्ष को उप सभापति के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इनका चयन नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। मृत्यु, पद-त्याग एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर निर्वाचित सदस्य पुनः शेष अवधि के लिए सभापति अथवा उप सभापति का निर्वाचन करते हैं। सभापति परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है एवं निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी आयुक्त एवं अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है।

नगर परिषद के कार्य: नगर निगम द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों जिसका उल्लेख पूर्व में नगर निगम के कार्यों में किया गया है उन सभी अनिवार्य, ऐच्छिक और विशेष कार्य को नगर परिषदें भी निष्पादित करती रहती हैं। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देश के सभी नगरीय निकायों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों को संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, जो इस प्रकार हैं:—

1. नगर आयोजना;
2. भूमि का विनियमन;
3. सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना;

4. सड़क एवं पुल;
5. व्यावसायिक प्रयोजन एवं घरेलू उद्योग के लिए जल-प्रदाय;
6. लोक स्वास्थ्य एवं सफाई;
7. अग्नि शमन सेवाएं
8. नगरीय वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण;
9. गन्दी बस्तियों के लिए विकास;
10. कमजोर वर्गों, मंद बुद्धि व विशेष योग्य जनों के हितों का संरक्षण;
11. गरीबी उन्मूलन;
12. उद्यान व खेल मैदान इत्यादि का विकास;
13. दाह-गृहों, विद्युत दाह-गृहों इत्यादि का निर्माण एवं रख रखाव;
14. जन्म एवं मृत्यु पंजीयन;
15. सड़कों का विद्युतीकरण;
16. वाहन पार्किंग एवं बस-स्टॉप स्टैंड इत्यादि का निर्माण;
17. खानों का विनियमन;
18. बूचड़खानों का विनियमन इत्यादि।

नगरपालिका

देश में सभी राज्यों में नगर निकायों के गठन के लिए जनसंख्या को आधार माना है। राजस्थान में भी जनसंख्या के आधार पर एक लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे संक्रमणकालीन नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिका की स्थापना की गयी है। गांव से नगर बनने वाले क्षेत्र को संक्रमणकालीन क्षेत्र कहा गया है। संक्रमणकालीन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया था लेकिन राजस्थान सरकार ने नगर पंचायत के स्थान पर नगर पालिका बोर्ड (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) का गठन किया। वर्तमान में इनकी संख्या क्रमशः 13, 58 एवं 75 है। इस प्रकार राजस्थान में कुल 146 नगरपालिका निकाय गठित हैं।

नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप

में जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। वार्डों की संख्या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राज पत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित की जाती है। नगरपालिका वार्ड का सदस्य वयस्क मताधिकार से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु वाला ऐसा व्यक्ति जो नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता हो, नगरपालिका का चुनाव लड़ सकता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात तथा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षित किया गया है। आरक्षित स्थानों का निर्धारण चुनाव से पहले लॉटरी पद्धति से किया जाता है। आरक्षित वर्ग के व्यक्ति और महिलाएं सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सामान्य कार्य निष्पादन के लिए प्रत्येक नगर निकाय को दो माह में कम से कम एक बैठक अवश्य करनी चाहिए।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षः— नगरपालिका बोर्ड के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष एवं एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करते हैं। अध्यक्ष के नेतृत्व में ही नगरपालिका बोर्ड उस नगरीय क्षेत्र के लिए नगरीय प्रशासन की नीतियां बनाता है, जिनका क्रियान्वयन पालिका में नियुक्त प्रशासक अर्थात् अधिशाषी अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों की सहायता से किया जाता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल, शक्तियां व कार्य सभी नगरपरिषद के सभापति एवं उपसभापति के कमोबेश समान ही होते हैं। राज्य की नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चक्रानुक्रम से आरक्षण होगा।

राजस्थान में सभी नगरपालिकाओं में कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए वित्त, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, भवन और निर्माण, नियम-उपनियम, गन्दी बस्ती सुधार व अपराधों का शमन और समझौता विषय पर समितियों का गठन किया जाता है। नगरपालिकाएं अपनी आवश्यकतानुसार स्वविवेक से अतिरिक्त समिति का भी गठन कर सकती हैं।

नगरपालिका के कार्यः— यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का जो उल्लेख पूर्व वर्णित बिन्दुओं में किया गया है उन सभी अनिवार्य, ऐच्छिक और

विशेष कार्यों को नगरपालिकाएं भी अपने क्षेत्र में निष्पादित करती हैं। 74वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत देश के सभी नगरीय निकायों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों को संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है जिसका उल्लेख भी विगत पृष्ठों में नगर परिषद के कार्यों के अन्तर्गत किया जा चुका है।

छावनी बोर्ड

छावनी शब्द का प्रयोग सैनिकों के निवास स्थान के लिए किया जाता है। समय के साथ-साथ छावनी में सैनिकों के साथ नागरिक भी बड़ी संख्या में रहने लगे हैं। भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु स्थानीय संस्था के गठन के लिए 1924 में छावनी बोर्ड अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य छावनी बोर्ड की स्थापना करना था जो कि नगरपालिका के समान कार्य करता है। छावनी बोर्ड सीधे भारत के रक्षा मंत्रालय से प्रशासित होते हैं। वर्तमान में राजस्थान में नसीराबाद (अजमेर) में एकमात्र छावनी बोर्ड की स्थापना की गयी है। वर्तमान में देश के सभी छावनी मंडल सितम्बर 2006 से लागू नए कानून के अधीन शासित हो रहे हैं।

सेना का मुख्य अधिकारी छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। छावनी बोर्ड का गठन निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों से मिलकर किया जाता है। उपाध्यक्ष असैनिक रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल पद पर पदासीन होने तक होता है। कार्य की दृष्टि से छावनी मंडल के कार्य नगरपालिका के कार्य जैसे ही होते हैं। स्थानीय क्षेत्र में रोशनी, सफाई एवं स्वास्थ्य की देखभाल इत्यादि करता है। कार्य निष्पादन के लिए बोर्ड अपने वित्तीय संसाधन जनता पर कर आरोपण एवं केन्द्र से प्राप्त अनुदान द्वारा एकत्रित करता है।

राजस्थान में स्थानीय स्वशासन के उल्लेखनीय प्रयासः—

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित पद से किसी कारणवश हटने पर उसी वर्ग के सदस्य को अध्यक्ष बनाने का प्रावधान किया गया है।
2. व्यक्ति जिनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध का संज्ञान ले लिया है और आरोप विचारित कर दिये गये हैं, जो

- 5 वर्ष या अधिक कारावास से दण्डनीय हो, के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है।
3. ग्रामीण विकास योजनाओं में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता में बढ़ोत्तरी हेतु वार्ड सभा का गठन किया गया है।
4. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है।
5. राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा का गठन किया गया है। जिसमें चयनित अधिकारियों को पंचायती राज की विकास प्रक्रिया संचालन के दायित्व से जोड़ा गया है।
6. पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार तय की गई है।
 - जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के सदस्य : 10वीं कक्षा उत्तीर्ण
 - अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत के सरपंच : 5वीं कक्षा उत्तीर्ण
 - अन्य पंचायत के सरपंच : 8वीं कक्षा उत्तीर्ण
7. पंचायत का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के घर में कार्यशील शौचालय होना अनिवार्य है।
8. इसी प्रकार नगर निकाय के चुनाव के लिए भी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व घर में शौचालय अनिवार्य कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. हमारे देश में चोल शासन के अंतर्गत गणतंत्रीय शासन (स्थानीय स्वशासन) का अच्छा स्वरूप था।
2. 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्वाशासन की संस्थाओं (पंचायत राज संस्थाओं) एवं 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं के गठन को पूरे देश में संवैधानिक दर्जा एवं एकरूपता मिली है।
3. ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। पंचायत क्षेत्र की समस्त विकास योजनाओं के प्रस्ताव इसी के द्वारा तैयार किये जाते हैं।

4. पंचायत राज संस्थाओं की त्रि-स्तरीय व्यवस्था में तालमेल एवं सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से प्रधान को जिला परिषद् का तथा सरपंच को पंचायत समिति का पदेन सदस्य बनाया गया।
5. राजस्थान में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय व्यवस्था प्रचलन में है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद्।
6. पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव निर्धारित समय पाँच वर्ष में नियमित रूप से होने लगे हैं।
7. राजस्थान में 9000 ग्राम पंचायतें, 295 पंचायत समितियाँ, 33 जिला परिषद्, 146 नगर पालिका, 34 नगर परिषद् 7 नगर निगम हैं एवं छावनी बोर्ड हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई ?
 - (क) 44वें संविधान संशोधन
 - (ख) 74वें संविधान संशोधन
 - (ग) 42वें संविधान संशोधन
 - (घ) 73वें संविधान संशोधन
2. ग्राम सभा का गठन होता है?
 - (क) ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से
 - (ख) ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से
 - (ग) पंच, सरपंच और उप सरपंच से मिलकर
 - (घ) पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से
3. राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है?

(क) नगरपालिका	(ख) नगर पंचायत
(ग) नगर परिषद्	(घ) नगर निगम

अति लघूत्तरात्मक

1. भारतीय संघ के किस राज्य ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया?
2. सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है?
3. प्रधान का संबंध किस संस्था से है?
4. राजस्थान के किन शहरों में नगर निगम का गठन किया गया है?

लघूत्तरात्मक

1. ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए?
2. जिला परिषद् का गठन किन सदस्यों से मिलकर होता है ?
3. छावनी बोर्ड का संक्षिप्त विवरण दीजिए?

4. महापौर द्वारा किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख कीजिए ?

निबंधात्मक

1. पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होता है?उसके द्वारा संपादित कार्यों का वर्णन कीजिए।
2. नगर परिषद् के गठन व कार्यों का वर्णन कीजिए?
3. “पंचायतीराज के बिना गांवों का विकास संभव नहीं है” अपना मत दीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (क)
3. (ख)